UPPB010013382026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–114/2025

राज्य बनाम भगवान दास

धारा–383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

थाना–बरखेड़ा, जिला–पीलीभीत

दिनांकः 04.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त भगवान दास मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आया।

अभियुक्त भगवान दास पुत्र श्री नत्थूलाल की ओर से जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थना पत्र 7–ख, प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उसे चेतावनी दी गयी कि वह अपना जुर्म स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं और यदि वह अपना जुर्म स्वीकार करता है, तो विधिनुसार उसे दण्डित किया जावेगा। इस चेतावनी के बावजूद भी अभियुक्त के द्वारा जुर्म इकबाल चाहा गया।

अभियुक्त का बयान रिकार्ड किया गया। बयान के आधार पर अभियुक्त को धारा–383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आरोप में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्ता का कहना है कि मुकदमा उपरोक्त में उसे अपनी गलती स्वीकार है तथा क्षमा याचना कर रही है। याचना की गयी है कि उसे चेतावनी देकर उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी जाये।

अतः अभियुक्त के क्षमा याचना के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त भगवान दास को धारा–383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आरोप में दोषी पाते हुए, अभियुक्त भगवान दास को 500/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त 07 दिन के साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा किया गया।

तद्नुसार उसे अर्थदण्ड अदायगी की रसीद निर्गत की जाये।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार अभिसंचित की जाये।

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत
04.06.2026

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.06.04 17:01:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court